सर्वश्री राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 – 133 बी (साहिबगंज– मनीहारी, गंगा ब्रीज) नया लिंक योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की कार्यवाही

दिनांक 20/11/2018

स्थान – अम्बाडीहा पंचायत भवन, साहिबगंज, झारखंड

उपस्थिति (Officials) –

1. श्री अनमोल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, साहिबगंज
2. श्री रवीन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका
3. श्री मिथिलेश झा, वैज्ञानिक सहायक झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची
4. श्री सुनीता किस्कू, अंचलाधिकारी, मंडरो, साहिबगंज
5. श्री सुधीर कुमार, परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, साहिबगंज
6. श्री के0 के0 बासा, कंसल्टेंट – आर.वी. एसोसिएटस प्रा0 लिमिटेड हैदराबाद,

पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 नं0 F. No. 10-62/2018-IA.III दिनांक – 08.10.2018 के आलोक में श्री अनमोल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, साहिबगंज की अध्यक्षता में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 20/11/2018 को अम्बाडीहा पंचायत भवन, साहिबगंज, झारखंड में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। (उपस्थिति – **अनुलग्नक – 1**)।

लोक सुनवाई में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि श्री मिथिलेश झा, वैज्ञानिक सहायक झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची ने सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए लोक सुनवाई का प्रयोजन एवं उद्देश्य से अवगत कराया। तदोपरांत एन0एच0ए0आई के परियोजना निदेशक श्री सुधीर कुमार एवं मेसर्स आर.वी. एसोसिएटस के श्री के0 वासा से तकनीकी पहलूओं एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकण प्रतिवेदन से आमजनों को अवगत कराने के लिए अनुरोध किया गया ।

परियोजना निदेशक श्री सुधीर कुमार ने परियोजना एवं गंगा पुल की मुख्य विशेषताओं की जानकरी लोगों को दी। उन्होंने बताया कि यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 133बी0 के नाम से प्रस्तावित है जिसमें झारखंड राज्य के साहिबगंज बाईपास (चेनेज 0.000) तथा बिहार राज्य के मनीहारी, जिला – कटिहार में एन0एच0 –133ए के (चेनेज 25.240) को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें 4 लेन सड़क सहित 6 किमी0 गंगा ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव है।

श्री कुमार द्वारा बताया गया कि परियोजना की लम्बाई 15.885 किमी0 है, जिसमें 6 किमी0 पुल, 2 वायाडक्ट और परियोजना की कुल लागत 2598 करोड़ है। परियोजना निदेशक ने बताया कि निर्माण अवधि में प्रदूषित पानी की प्रबंधन के लिये 10 जैव शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। उन्होने बताया कि परियोजना में कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं योग्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

तत्पश्चात आर.वी. एसोसिएटस के श्री के0 बासा ने लोगों को पर्यावरण आधारभूत अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना से अवगत कराया। पर्यावरण प्रबंधन योजना का कुल खर्च 24.599 करोड़ होगा जिसमें वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि की निगरानी निर्माण एवं परिचालन अवस्था में, डॉल्फिन और उदबिलाउ जैसे लुप्तप्राय जीवों का संरक्षण, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य शामिल होंगें।

डॉल्फिन को विशेष रूप से बचाया जाएगा और पुनर्वास किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 10 सदस्यों की एक बचाव और पुनर्वास टीम को इंजनयुक्त गतिशील नाव आदि जैसे आवश्यक उपकरण के साथ तैनात किया जाएगा। इसके लिए ईएमपी में 102.7 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

परियोजना के कियान्वयण में आबादी का विस्थापण नहीं है। इस परियोजना के प्रभाव क्षेत्र का ई0आई0ए0 रिपोर्ट के आधार पर ई0एम0पी0 तैयार किया गया है जिसमें संभावित पर्यावरणीय दुस्प्भाव के नियंत्रण हेतु व्यवस्था दर्शाये गये हैं।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के उपरांत लोक सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/प्रतिकिया दिये गये जिसका प्रबंधन एवं परामर्शी के द्वारा जवाब दिया गया ।

सभा में उपस्थित नागरिकों की उपस्थिति (अनुलग्नक– 2) एवं प्रश्नोतरी (अनुलग्नक –3) संलग्न है

अपर समाहर्ता ने सभी लोगों को लोक सुनवाई कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया । साथ ही बताया कि यह परियोजना विकास के लिए आवश्यक है। लोगों से अमूल्य सुझाव प्राप्त हुए है जिसे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा तथा भविष्य में भी आवश्यक सहयोग देने की अनुरोध के साथ कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गयी ।

20/11/2018

(श्री मिथिलेश झा)
वैज्ञानिक सहायक
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
राँची

(श्री रवीन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
दुमका

20/11/18

(अनमोल कुमार सिंह)
अपर समाहर्ता
साहिबगंज